अति–आवश्यक
निजी ध्यानार्थ

सख्याः पीएलजी–एफ0सी0 (एफ) 3–1/2023-24-Meeting-Main
हिमाचल प्रदेश सरकार
"योजना विभाग"

प्रेषकः

प्रधान सचिव(योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002.

प्रेषितः

श्रीमति/ श्री ....

माननीय विधायक ....

....

दिनांकः शिमला–2, 23 जनवरी, 2024

विषयः– **आगामी वार्षिक बजट (2024–25) में माननीय विधायकों की प्राथमिकताओं के निर्धारण हेतु माननीय मुख्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024 को दो दिवसीय बैठकों के आयोजन में आंशिक संशोधन (दो जिलों की समय–सारिणी, स्थान, प्रपत्र–।) बारे।**

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय इस विभाग के पत्र समसंख्यक दिनांक 08–01–2024 के निरन्तरीकरण में मुझे यह कहना है कि माननीय विधायकों की माननीय मुख्य मंत्री के साथ दो दिवसीय बैठकों में **जिला सोलन एवं जिला सिरमौर की पूर्व निर्धारित बैठकें जो दिनांक 29 जनवरी, 2024 को की जानी थी उन बैठकों के समय में किन्ही अपरिहार्य कारणों से आंशिक संशोधन किया गया है** जो निम्न हैः–

क्र. सं.	जिले का नाम	दिनांक	संशोधित निर्धारित समय
1	सिरमौर	29–01–2024	10:30 से 1:30 बजे पूर्वाहन
2	सोलन	29–01–2024	2:00 से 5:00 बजे अपराहन

(शेष जिलों की समय सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्ततन नहीं है और वह अपने पूर्व निर्धारित समय तथा तिथि पर ही बैठकों में भाग लेंगे।)

2. इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दो दिवसीय बैठकों का आयोजन हिमाचल प्रदेश सचिवालय, **आर्मजडेल भवन फेज–।।। के स्थान पर आर्मज़डेल भवन के कॉन्फ्रेस हॉल, शिमला** में होना निश्चित हुआ है। इन बैठकों की जिलावार निर्धारित **संशोधित समय–सारणी** अनुबन्ध–"क" पर संलग्न है।

3. आगामी बजट (2024–25) की इन निर्धारित बैठकों में माननीय विधायकों की विधायक प्राथमिकताएं प्राप्त करने के लिए प्रपत्र–। में संशोधन किया गया है। इस **संशोधित प्रपत्र–।** में प्रत्येक माननीय विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र से सम्बन्धित केवल पांच प्राथमिकताएं प्रस्तावित कर सकते हैं। मुख्य विकास शीर्षो (वास्तिविक नई स्कीमें RNS), क्रमशः सड़कें एवं पुल, लघु सिंचाई योजनायें, ग्रामीण पेयजल / मल निकासी योजनाएं की एक–एक स्कीम अथवा किसी एक मद में तीन / दो प्राथमिकताएं प्रस्तावित की जा सकती हैं। उपरोक्त शीर्षो में रख रखाव से सम्बन्धित एक प्राथमिकता तथा एक ही प्राथमिकता परिवहन विभाग के अन्तर्गत ईलैक्ट्रिक बस चलाने हेतु चार्जिंग स्टेशन सहित (किसी एक रूट पर जहां पहले से HRTC की डीजल बस चल रही हो) शामिल कर सकते हैं।

जारी पृष्ठ–2

4. आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावनाओं को प्रेषित करते समय कृपया यह ध्यान रखें कि प्रस्तावित योजनाओं के लिए निजी भूमि के मामले में सरकार अधिग्रहण की लागत नहीं देगी तथा भू-स्वामियों को ऐसी भूमि स्वेच्छा से ही योजना निर्माण के लिये देनी होगी । कृपया प्रस्तावनाएं प्रेषित करने की अनुकम्पा करें ।

5. आपसे अनुरोध है कि **दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024** को इन बैठकों में आप अपने जिले से सम्बन्धित **संशोधित निर्धारित तिथि एवं समय** अनुसार **(अनुबन्ध-क)** भाग लेने की अनुकम्पा करें । इन बैठकों में भाग लेने वाले माननीय विधायकों तथा अधिकारियों के लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी की गई है । अतः **दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024** को दोपहर के बाद निर्धारित की गई बैठकों में दर्शाये गये जिलों के माननीय विधायकों से भी अनुरोध है कि सम्बन्धित जिलों की निर्धारित बैठकों के दिन 01.30 **बजे दोपहर** के भोजन में सम्मिलित होने की अनुकम्पा करें ।

6. माननीय विधायकों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों से सम्बन्धित स्कीमों को आगामी वित्त वर्ष के बजट में समावेश करने के लिए जैसा कि उपरोक्त पैरा-2 में दर्शाया गया है, **सलग्ंन संशोधित प्रपत्र-I** तथा II के अनुसार योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश को शीघ्र डाक अथवा ई-मेल (anuj.kumar2020@gov.in) के माध्यम प्रेषित करने की कृपा करें या बैठक में अपने साथ लाने की अनुकम्पा करें, ताकि आपके प्रस्तावों को बजट में शामिल किया जा सके । यह भी अनुरोध है कि **प्रपत्र-II** के सुझाव बैठक में भी विस्तृत रूप से बताने की कृपा करें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2

संलग्नक : यथोपरि ।
पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि । **दिनांकः** शिमला-2, 23 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान निजी सचिव, माननीय मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
2. वरिष्ठ विशेष निजी सचिव, माननीय उप-मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
3. निजी सचिव, माननीय समस्त मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य संसदीय सचिव, हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
5. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला-4.
6. निजी सचिव, माननीय उपाध्यक्ष (पर्यटन), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.
7. वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
8. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
9. निजी सचिव, प्रधान सचिव (योजना), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.
10. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश।
11. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक, / निगम / बोर्ड, हिमाचल प्रदेश।
12. समस्त उपायुक्त, हिमाचल प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने जिले की बैठक में संलग्न समय-सारणी के अनुसार भाग लेने की अनुकम्पा करें तथा बैठक से सम्बन्धित समय-सारणी, मीटिंग नोटिस **एवं संशोधित प्रपत्र- I** तथा II की एक प्रति इस निवेदन के साथ संलग्न है कि आप विशेष संदेशवाहक के माध्यम से अपने जिले से सम्बन्धित सभी माननीय विधायकों (माननीय विधानसभा अध्यक्ष / उपाध्यक्ष/ माननीय मंत्रियों एवं मुख्य संसदीय सचिवों को छोड़कर) को वितरित एवं सूचित करेंगे।

जारी पृष्ठ-3

13. सचिव, सचिवालय प्रशासन, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वह उपरोक्त बैठकों हेतु **दिनांक 29 तथा 30 जनवरी, 2024 को हिमाचल प्रदेश सचिवालय, आर्मज़डेल भवन फेज-III के स्थान पर आर्मज़डेल भवन के कॉन्फ्रेस हॉल को आरक्षित** करने की कृपा करें।
14. निदेशक, लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2 को प्रैस नोट सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि बैठकों की **संशोधित समय-सारणी (अनुबन्ध-क)** का आकाशवाणी/दूरदर्शन तथा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित / प्रचार तथा Video and Audio coverage करवाने की अनुकम्पा करें।
15. निजी सचिव, सलाहकार (योजना), हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

(डॉ0 बसु सूद)
सलाहकार (योजना)
हि0प्र0, शिमला-2

अनुबन्ध–'क'

मानननीय विधायकों के साथ निर्धारित बैठकों की संशोधित जिलावार समय सारणी

क्र0 सं0	जिले का नाम (निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या)	दिनांक	समय
1.	1. ऊना (5) 2. हमीरपुर (5) 3. सिरमौर (5)	29-01-2024	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे
2.	1. सोलन (5) 2. चम्बा (5) 3. बिलासपुर (4) 4. लाहौल व स्पीति (1)	29-01-2024	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे
3.	1. कांगड़ा (15) 2. किन्नौर (1) 3. कुल्लू (4)	30-01-2024	पूर्वाहन् 10.30 से 1.30 बजे
4.	1. शिमला (8) 2. मण्डी (10)	30-01-2024	अपराहन् 2.00 से 5.00 बजे

***

प्रपत्र–।

वार्षिक बजट 2024–25 के लिये माननीय विधायकों की स्कीमों (RNS) के लिये प्रस्तावनायें (निम्न शीर्षों में केवल पाँच प्राथमिकताएं)।	
माननीय विधायक का नाम :	
निर्वाचन क्षेत्र का नाम :	
जिले का नाम :	
I. सडकें एवं पुल वास्तविक नई स्कीमें (RNS) :	
II. लघु सिंचाई योजनायें वास्तविक नई स्कीमें (RNS) :	
III. ग्रामीण पेयजल / मल निकासी योजनायें वास्तविक नई स्कीमें (RNS) :	
(उपरोक्त तीनों में से सभी तीनों अथवा दो प्राथमिकताएं किसी एक श्रेणी में भी हो सकती हैं।)	
IV. रख–रखाव से सम्बन्धित योजनाएं (सड़के एवं पुल, लघु सिंचाई तथा ग्रामीण पेयजल योजनाओं में से कोई एक)	
V. HRTC ईलैक्ट्रिक बस चलाने हेतु (ऐसा कोई एक रूट जिस पर पहले से HRTC की डीजल बस चल रही हो) तथा चार्जिंग स्टेशन सहित	

हस्ताक्षर
माननीय विधायक

***

प्रपत्र–II

वर्ष 2024–25 के लिये मित्तव्ययता उपायों, वित्तीय संसाधन जुटाने एवं बेहतर प्रशासन हेतु सुझाव के लिये प्रपत्र ।

माननीय विधायक का नाम : ....

....

निर्वाचन क्षेत्र का नाम : ....

क. मितव्ययता के उपायों पर सुझाव

____

____

____

ख. वित्तीय संसाधन जुटाने हेतु सुझाव

____

____

____

ग. बेहतर प्रशासन हेतु सुझाव

____

____

____

घ. "स्वरोजगार" व "Wage Employment" सृजित करने के लिए सुझाव

____

____

____

ड. किसी भी विकास क्षेत्र में नई नीति के लिए सुझाव

____

____

____

हस्ताक्षर
माननीय विधायक

***